

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2020-21/

दिनांक- 16.03.2022

:: आदेश ::

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	अशोक कुमार गर्ग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूनावढ़, श्रीगंगानगर	गणित	03.04.1962	30.04.2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक- 16.03.22

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगकृ/2020-21/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) सभाग मुख्यालय
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर